

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

सूचना

क्र. एफ-3-47-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें राज्य सरकार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सूचित किया जाता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा यथा

अपेक्षित उन समस्त व्यक्तियों, जिनके की उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में दिनांक 24 जून 2016 को प्रकाशित किया गया. प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार कर नियमों में निम्न संशोधन को अंतिम रूप दिया जाता है:—

संशोधन

1. नियम 17 संशोधन

नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अतःस्थापित किया जाता है, अर्थात्:—

“17(क)—कृषि पर्यटन सुविधा” कृषि उपयोग के लिये उपदर्शित कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों जो कि प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायें, के अध्वधीन रहते हुये कृषि पर्यटन सुविधा अनुज्ञेय होगी:—

- (क) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 1.00 हेक्टेयर होगा,
- (ख) अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) 0.10 होगा,
- (ग) ढलुआ छत सहित संरचना की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर होगी,
- (घ) सभी और न्यूनतम खुला (एम.ओ.एस.) 7.5 मीटर होगी,
- (ङ) भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर होगी,
- (च) कृषि पर्यटन सुविधा के अंतर्गत निम्न गतिविधियों अनुमत होगी:—

कृषि फार्म, फूलोद्यान, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैम्पिंग सुविधायें, अस्तबल, कला प्रदर्शनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्गमीटर से अधिक न हो) रख-रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एरिया थिएटर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. एफ-3-47-2016-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th November 2016

NOTICE

No. F-3-47-2016-XVIII-5.—The following amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby in “Madhya Pradesh Rajpatra” dt. 24 June 2016. After considering objections and suggestions, following amendments in Niyam are finalised:—

AMENDMENT

1. Amendment of Rules 17,—

After rule 17, the following sub rule shall be inserted, namely:—

17 (a) "Agricultural tourist facility" in any area designated for agriculture use, Agricultural tourist facility shall be permissible subject to the following conditions and such other conditions as may be imposed by the authority":—

- Minimum Size of the plot shall be 1.00 hectare,
- Maximum Floor area ratio (F. A.R.) shall be 0.10,
- The maximum height of the Structure shall be 7.5 meters with sloping roof,
- Minimum marginal open space (M.O.S.) shall be 7.5 meters from all sides,
- Plot shall be accessible by road having width not less than 7.5 meters,
- Following activities shall be permissible under "Agricultural tourist Facility":—

Agriculture farm, Flowers carriage, Fruits Carriage, Bee keeping, Cattle breeding, Fisheries, Sericulture, Camping Facilities Stable, Art Exhibition Hall, Cottage for tourist, Restaurant, Yoga hall, Naturopathy Centre, Sport Facilities, Gift shop (maximum area not exceed from 50 sq. meter), Residential accommodation for maintenance staff, Swimming Pool, Open air theatre for Entertainment of in-house tourist.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

C. K. SADHAV, Dy. Secy.

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. एफ 1-5-2016-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों,—

(एक) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात्:—

अनुसूची-एक (नियम 5 देखिये)

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संचालक	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900
2	संयुक्त संचालक	2	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600
3	उपसंचालक	4	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600
	संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	7		—तदेव—

4	खेल अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200
	युवक कल्याण अधिकारी	1		-तदैव-
	प्रशासनिक अधिकारी	1		-तदैव-
	जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	51		-तदैव-
	सहायक संचालक	3		-तदैव-

(दो) अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात् :-

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6(क) देखिये	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खेल और युवा कल्याण	म.प्र. युवा कल्याण (राजपत्रित) सेवा				
		संचालक	1	-	-	अखिल भारतीय सेवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा
		संयुक्त संचालक	2	-	100 प्रतिशत	उपसंचालक/संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा
		उप संचालक	4	-	100 प्रतिशत	(एक पद उपसंचालक कोष एवं लेखा से समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से भरा जावेगा) शेष पद खेल अधिकारी/युवक कल्याण अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक संचालक/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
		संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी	7	-	100 प्रतिशत	
4	खेल और युवा कल्याण	खेल अधिकारी	1	100 प्रतिशत	-	लागू नहीं
		युवक कल्याण अधिकारी	1	100 प्रतिशत	-	लागू नहीं
		प्रशासनिक अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा
		सहायक संचालक	3	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत	अधीक्षक/स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा
		जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	51	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	प्रशासक/वार्डन/प्रशिक्षक से पदोन्नति द्वारा

No. F 1-5-2016-IX

Bhopal, the 28th November 2016

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitutions of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules 1988, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. for the existing schedule-I the following Schedule shall be submitted, namely :-

SCHEDULE - I

(See Rule-5)

Sr. No.	Name of Posts Included in the Service	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Director	1	Class I	37400-67000+8900
2	Joint Director	2	Class I	15600-39100+7600
3	Deputy Director/	4	Class I	15600-39100+6600
	Divisional Sports and Youth Welfare Officer	7		
4	Sports Officer	1	Class II	9300-34800+4200
	Youth Welfare Officer	1		-do-
	Administrative Officer	1		-do-
	District Sports and Youth Welfare Officer	51		-do-
	Assistant Director	3		-do-

2- for the existing schedule-I the following Schedule shall be submitted, namely :-

SCHEDULE - II

(See Rule-6)

S. No.	Name of Department	Name of Service	Total no. of duty post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
				By Direct Recruitment Vide Rule 6(a)	By Promotion of substantive member of the serve vide rule 6(b)	By Transfer of Pers. from other serve vide rule 6(c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sports & Youth Welfare	Madhya Pradesh Youth Welfare (Gazetted) Service				
1		Director	1	-	-	By Deputation/ Transfer from All India Service
2		Joint Director	2	-	100%	By Promotion from Deputy Director / Divisional Sports and Youth Welfare Officer
3		Deputy Director/ Divisional Sports and Youth Welfare Officer	4 7	- -	100% 100%	One post of Deputy Director will be fulfilled by Transfer / Deputation from officers working in equivalent cadre of Treasury & Account Balance 4 posts will be fulfilled by promotion of Sports Officer / Youth Welfare Officer / Administrative Officer / Assistant Director / District Sports and Youth Welfare Officer.

S. No.	Name of Department	Name of Service	Total no. of duty post	Percentage of the number of duty posts to be filled in		
				By Direct Recruitment Vide Rule 6(a)	By Promotion of substantive member of the serve vide rule 6(b)	By Transfer of Pers. from other serve vide rule 6(c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		Sports Officer	1	100%	-	Not Applicable
		Youth Welfare Officer	1	100%	-	Not Applicable
		Administrative Officer	1	-	100%	By Promotion from Superintendent / Stenographer Grade-2
		Assistant Director	3	67%	33%	By Promotion from Superintendent / Stenographer Grade-2
		District Sports and Youth Welfare Officer	51	75%	25%	By Promotion from Administrator/Warden /Trainer

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेड. यू. शेख, उपसचिव.